समाहरणालय, समस्तीपुर
(जिला जनगणना कोषांग)

दूरभाष सं०–06274 22300 (का०)
06274 222301(आ०)
फैक्स सं०:–06274 222216
E-mail:-dm-samastipur.bih.nic.in

अल्पकालीन निविदा संख्या–01 / 2016–17

समस्तीपुर जिलान्तर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये आवश्यक संशोधनों एवं नए परिवारों के लिए भरे गए अनुसूचियों एवं प्रत्येक प्रवास (migration) तथा मृत्यु की सूची का डाटा इन्ट्री का कार्य किया जाना है। यह कार्य गृह मंत्रालय, बिहार के जनगणना निदेशक के कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक 1007 दिनांक 23.05.16 एवं पत्रांक 1802 दिनांक 22.06.16 के आलोक में अद्यतन कार्य प्रगणक खण्डवार बुकलेट में किये गए शुद्धिकरण का डाटा इन्ट्री तैयार करनी है। डाटा इन्ट्री का कार्य 10+2 योग्यताधारी कम्प्यूटर ऑपरेटर को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण के कुशल एवं जनगणना कार्य के अनुभवी हों, फर्मो से द्विलिफाफा पद्धति के तहत् अल्पकालीन मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। सीलबंद लिफाफे में तकनीकी तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग जिला जनगणना कोषांग , समस्तीपुर में दिनांकः–17.12.2016को 1.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किये जाऐंगे। प्राप्त सभी निविदायें उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न मे क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। जिसमें स्वयं निविदादाता / निविदादाता ,द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। निविदा के संबंध में विस्तृत विवरण **www.samastipur.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

क्रमांक	कार्य का प्रकार
1	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये आवश्यक संशोधनों एवं नए परिवारों के लिए भरे गए अनुसूचियों का डाटा इन्ट्री।
2	प्रत्येक प्रवास (migration) एवं मृत्यु का डाटा इन्ट्री

(क) तकनीकी निविदा की शर्त्तें:–

1. निविदा फर्म को बिहार वाणिज्य कर (VAT) एवं सेवाकर में पाँच वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
2. फर्म को बिहार लघु उद्योग एवं बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में निबंधित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा, जो पाँच वर्ष पूर्व का होना अनिवार्य है।
3. फर्म को PAN का छायाप्रति देना होगा। साथ ही विगत तीन वर्षों का आयकर विवरणी संलग्न करना होगा।
4. फर्म का कार्यालय बिहार में होना अनिवार्य है, जिसका स्वामित्व प्रमाण–पत्र / किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध का छायाप्रति या किराया प्राप्ति रसीद का प्रति संलग्न करना होगा।
5. निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में मो० 1,00,000.00(एक लाख) का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला पदाधिकारी , समस्तीपुर के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा।
6. वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर एवं मुहर के पाये जाने पर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने तथा किसी भी न्यायालय में Convicted नहीं होने का शपथ–पत्र मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. बिहार सरकार / केन्द्र सरकार के अधीन तीन वर्ष का डाटा इन्ट्री का कार्य किये जाने से संबंधित अनुभव प्रमााण –पत्र की छायाप्रति देना होगा।

9. फर्म को विगत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा। फर्म का वार्षिक टर्न ओभर कम से कम 1,00,00,000=00(एक करोड़) रूपये का होना अनिवार्य है।
10. स्थानीय निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
11. निविदादाता फर्म के पास अधारभूत संरचना तथा कम्प्यूटर, जेनरेटर आदि की उपलब्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
12. आवंटित कार्य के सब कॉन्ट्रेक्ट की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी। इस आशय का UNDERTAKING तकनीकी निविदा के साथ मूल में संलग्न करना होगा तथा यदि सब कॉन्ट्रेक्ट किया जाता है तो किसी भी समय कार्यादेश वापस लेकर जमा जमानत की राशि जब्त करते हुए फर्म पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
13. कार्य समाप्ति के बाद सभी सम्पूर्ण डाटा अपने कम्प्यूटर से सी०डी० तैयार कर जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
14. निविदा को बिना कारण बताये संशोधन करने , स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
15. किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में मामले का निष्पादन समस्तीपुर जिलान्तर्गत स्थित न्यायालय में किया जाएगा।
16. निविदादाता को जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थल पर कार्य को संपादित करना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्त्तें:–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. तकनीकी निविदा में दिये गये शर्त्तों का पालन करने वाले फर्म का ही वित्तीय निविदा (जो सील बंद होनी चाहिए) जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। वित्तीय निविदा में सभी प्रकार के कार्यों का दर विहित प्रपत्र में देना होगा।
3. सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार आवश्यक करों की कटौती कर ली जाएगी।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जएगा।
5. उपरोक्त शर्त्तों के अलावे समय–समय पर राज्य के जनगणना निदेशालय, बिहार,पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तों /निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
6. कार्यहित एवं समय सीमा को देखते हुए निर्धारित दर पर कार्य वितरण एक से अधिक निविदादाता के बीच किया जा सकता है।
7. किसी विवाद की स्थिति में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का निर्णय अंतिम होगा।
8. निविदादाता फर्म के पास आधारभूत संरचना तथा कम्प्यूटर , जेनरेटर , यू०पी०एस० आदि की उपलब्धता की समीक्षा /भौतिक सत्यापन के उपरांत निविदा में सफल फर्म को कार्यादेश देने पर विचार किया जाएगा।
9. चयनित भेंडर को किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
10. कार्य आदेश मिलने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर जनगणना कोषांग समस्तीपुर/प्रखंड कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले संशोधित NPR पुस्तिका/प्रपत्रों के प्रत्येक रिकार्ड का डाटा इन्ट्री कराना होगा।

Sd/- .../12/16

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला रजिस्ट्रार(नागरिक पंजीयन)
समस्तीपुर।

समाहरणालय,समस्तीपुर
(जिला जनगणना कोषांग)

दूरभाष सं०–06274 22300 (का०)
06274 222301(आ०)
फैक्स सं०–06274 222216
E-mail:-dm-samastipur.bih.nic.in

<u>अल्पकालीन निविदा संख्या–01/2016–17</u>

संयुक्त निदेशक–सह– संयुक्त रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन) गृह मंत्रालय, बिहार के जनगणना निदेशक के कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक 1007 दिनांक 23.05.2016 एवं पत्रांक 1802 दिनांक 22.06.2016 के आलोक में समस्तीपुर जिलान्तर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये संशोधनों का डाटा इन्ट्री करने हेतु सेवा प्रदाता का चयन एवं डाटा इन्ट्री का दर निर्धारण के लिए योग्य इच्छुक फर्मों से द्विलिफाफा पद्धति के तहत् मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। सीलबन्द लिफाफे मे तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दिनांकः– 17.12.2016 को 1.00 बजे अपराह्न तक जिला जनगणना कोषांग , समस्तीपुर में प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त सभी निविदाएँ उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। क्रय समिति के समक्ष निविदादाता स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है। निविदा का विस्तृत विवरणी **www.samastipur.bih.nic.in** पर देखा जा सकता हैं।

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला रजिस्ट्रार(नागरिक पंजीयन)
समस्तीपुर।